

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

<p>तारीख हुकम</p>	<p align="center"><b>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</b></p> <p>मु.ने. 42/2023 डा.पत्र स्थानांतरण                      उनवान - दौसा व अन्य वनाम श्री रमेश कुमार मीना व अन्य</p>	<p>नम्बर व तारीख                      ग्राम जो                      इस हुकम की                      तामील में जारी                      हुए</p>
<p>13-1-23</p>	<p><del>आज पीठासीन अधिकारी महोदय राज्य</del>                      कार्य में वयस्त/अवकाश पर होने से                      गत आदेश की पालना में पत्रावली                      दिनांक 15-1-23 को प्रेषित है।</p>	
<p>15-1-23</p>	<p><del>आज पीठासीन अधिकारी महोदय राज्य</del>                      कार्य में वयस्त/अवकाश पर होने से                      गत आदेश की पालना में पत्रावली                      दिनांक 12-1-23 को प्रेषित है।</p>	
<p>12-1-24</p>	<p>आज पीठासीन अधिकारी महोदय राज्य                      कार्य में वयस्त/अवकाश पर होने से                      गत आदेश की पालना में पत्रावली                      दिनांक 19-1-24 को प्रेषित है।</p>	
<p>09-1-24</p>	<p>आज पीठासीन अधिकारी महोदय राज्य                      कार्य में वयस्त/अवकाश पर होने से                      गत आदेश की पालना में पत्रावली                      दिनांक 2-2-24 को प्रेषित है।</p>	
<p>2-2-24</p>	<p>आज पीठासीन अधिकारी महोदय राज्य                      कार्य में वयस्त/अवकाश पर होने से                      गत आदेश की पालना में पत्रावली                      दिनांक 9-2-24 को प्रेषित है।</p>	
<p>9-2-24</p>	<p>अधिकारता प्राचीनक उपस्थित अधिकारता                      प्राचीनक द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण में तत्कालीन                      पीठासीन अधिकारी श्री रमेश कुमार मीना उपखण्ड                      अधिकारी सिकरप का स्थानांतरण हो गया है,                      इसलिए प्राचीनक पत्र स्थानांतरण का आगे चलाये                      जाने का औचित्य नहीं है।                      पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं अधिकारता                      प्राचीनक के स्वयं पर ममन किया गया। विधायकी                      प्राचीनक पत्र स्थानांतरण श्री रमेश कुमार मीना उपखण्ड                      अधिकारी सिकरप के विरुद्ध पेश किया गया है,                      - अग्रज।</p>	



  
 अति. जिला कलक्टर  
 दौसा



श्री रामेश शुभार मीना का स्थानांतरण हो गया है।  
इसलिए प्रार्थना पत्र स्थानांतरण सारणीन होय  
से इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है।

आतः न्यायालय उपखण्ड अद्वैतारी सिमराम  
में विचारणीय प्रकरण उनवानी शिवलाल आदि  
बनाम भगवती कौश वाद एवं प्रार्थना पत्र खारिज  
निषेधाज्ञा को अन्य सहाय न्यायालय में स्थानांतरण  
करने हेतु शर्तीयक घोषणा व इन्दु पुत्रान  
धर्मालया जाहि मीना निवासी नाधर खाद्य  
तहसील सिमराम द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत  
प्रार्थना पत्र स्थानांतरण खारिज किया गया है।  
निवेद्य की जाते अद्वैतारी न्यायालय उपखण्ड  
अद्वैतारी सिमराम में भिजवाई जाके पतावली  
के सल शुभार की जाकर नम्बर से क्रम हो एवं  
वाडपूरी प्रलिषट लेख भण्डार की जाके निवेद्य  
आप्त दिनांक 09-2-2004 को मेरे द्वारा खुले  
न्यायालय में शुनायक गया।

*(Handwritten signature in red ink)*

नरेश बुनकर  
अति. जिला कलक्ट  
दौसा (राज.)

